गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद
(I.S.O.9001:2015 एवं I.S.O.14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्र संख्याः 06 /4/ई.ई.जोन–5/2019 दिनांकः 22-07-19

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– एन0एच0–09 से गालन्द में प्रस्तावित कूड़ाघर तक गंगनहर की बायी पट्टी पर एप्रोच रोड़ के निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट तक सड़क बनाने का कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। जिसके क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वन विभाग की भूमि पर सड़क बनाने के लिए भूमि हस्तान्तरण हेतु वन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन सं0–एफ0पी0/यू0पी0/रोड़/39999/2019 के द्वारा अपलोड किया गया था जिसमें दिनांक 20.06.2019 को की गयी आपत्तियों के संदर्भ में आख्या निम्नवत् हैः–

1. आवेदन में 106.775 माइल से 107.00 माइल एवं 107.00 माइल से 107.984 माइल दर्शित किया गया है इस माइल को कि0मी0 में भी परिवर्तित कर दिया गया है इस प्रकार 106.775 माइल (170.840 कि0मी0) से 107.00 माइल (171.20 कि0मी0) तक कुल 0.36 कि0मी0 अर्थात कुल 360.00 मी0 गाजियाबाद वन क्षेत्र में स्थित है। 107.00 तथा 107.00 माइल (171.20 कि0मी0) से 107.989 माइल (172.775 कि0मी0) कुल 1.575 कि0मी0 अर्थात 1525.00 मी0 तथा एप्रोच रोड़ के किनारे से प्रस्तावित कूड़ाघर के प्रवेश द्वार तक कुल 52.00 मी0 लम्बाई हापुड वन क्षेत्र है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाली भूमि की गणना सीट साथ में संलग्न है।
2. केवल सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में निरीक्षण हेतु बनाई गई सड़क 4.00 मी0 चौड़ाई जो वन संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है, की स्ट्रेन्थनिंग का कार्य उनकी अनापत्ति प्रदान करने पर ही करायी जा रही है। इस सड़क के इस भाग के उपरान्त वन विभाग वाली भूमि पर सड़क चौड़ीकरण कार्य वन विभाग से एन0ओ0सी0 प्रदान करने के उपरान्त अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर ही किया जायेगा। प्रस्तावित सड़क के निर्माण हेतु एन0एच0ए0आई0 द्वारा अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है जो साथ में संलग्न है। इस परियोजना की सक्षम प्राधिकारी उपाध्यक्ष महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी प्रति भी साथ में संलग्न है।
3. वन विभाग से ऑनलाइन आवदेन करने हेतु मुख्य अभियन्ता, गा0वि0प्रा0 द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है। मेरे द्वारा सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किये गये है।

कृपया तद्नुसार अवगत् होने का कष्ट करें।

22/7/19

(मानवेन्द्र कुमार सिंह)

अधिशासी अभियन्ता जोन–5

Scanned with CamScanner